न्यायालय :— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 08/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.05.2022
जीसीएमएस **नम्बर :— 2022/154**

प्रार्थी

रेखा नवल पत्नि श्री सुरेश कुमार नवल जाति रेगर निवासी मानसरोवर जयपुर के मुख्तार आम अंकित जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन, उम्र—वयस्क, जाति जैन, निवासी—ब्यावर, तहसील—ब्यावर, जिला—अजमेर

बनाम

अप्रार्थी

1. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्राथी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 10.01.2023**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है रेखा नवल पत्नि श्री सुरेश कुमार नवल जाति रेगर निवासी मानसरोवर जयपुर के नाम खातेदारी भुमि ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का बर भु. अभि. निरि. बर तहसील रायपुर जिला पाली राज. के खसरा नं. 1319/1694 रक्बा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जो उनकी खरीदशुदा भुमि है। उपरोक्त खातेदारी आराजी की चालु जमाबन्दी व ट्रेस नक्शे की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावें। उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त भुमि के खातेदार रेखा नवल पत्नि श्री सुरेश कुमार नवल जाति रेगर निवासी जयपुर ने अपनी खातेदारी भुमि ग्राम रेलमगरा रक्बा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल का मुझ प्रार्थी को मुख्तार आम नियुक्त कर रखा है जो पॉच सौ रूप्ये पर लिखा जाकर दिनांक 01/01/2021 को ओ. पी. सिंगल के द्वारा नोटेरी हुआ है जो मुख्तार आम आज दिंनाक मे जिदां है एवं निरस्त नहीं किया हुआ है। इसलिए मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है एवं राजस्व रेकर्ड मे उक्त भुमि तरमीन है। राजस्व रेकर्ड मे तरमीन अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं वो बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त कर रहा हैं। एवं प्रार्थी जब भी उक्त भुमि पर काश्त करता है तो आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुँचाते है एवं प्रार्थी को आर्थिक हानि पहुचाते है। इससे बचने के लिए प्रार्थी चारों तरफ पक्की दिवार या तारबंदी करवाना चाहता हैं। उक्त भुमि के दों तरफ सार्वजरिक रास्ता

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सरकारी भुमि आयी हुआ है, एक तरफ नेशनल हाइवे एवं एक तरफ पावर आम मुख्तार ग्रहीता की भुमि आई हुई है। सार्वजनिक रास्ते की तरफ से ग्रामीणों के वाहन आवागमन करने से प्रार्थी की कुछ भुमि पर रास्ता बना दिया जब प्रार्थी अपनी भुमि की तरफ तारबन्दी करने लगा तो अपनी भुमि तक तारबन्दी कर रहा था आवागमन करने वाले ग्रामीण विवाद करने लग गये एवं प्रार्थी को शंका है कि प्रार्थी की रेकर्ड अनुसार कब्जे मे भुमि कम है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को भुमि नापने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने कोई कार्यवाही नही करते हुए बहुत समय बिता दिया परन्तु सीमाज्ञान नही किया जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भुमि का सींमाकन एवं पत्थरगड्डी हेतु अपार्थीगण को आदेश प्रदान करावें एवं मौके पर फिर भी विवाद कि स्थिति हो तो पुलिश प्रशासन भी उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करावं जिससे प्रार्थी अपनी भुमि के चारों तरफ फसल को नुकसान से बचाने के लिए एवं अपनी पुरी भमि पर कब्जा कर तारबदी या पक्की दिवार का निर्माण कर सके जिससे भाविष्य मे होने वाले विवाद एवं हानि से बचा जा सके। उक्त भुमि उक्त भुमि के दों तरफ सार्वजरिक रास्ता सरकारी भुमि आयी हुआ है, एक तरफ नेशनल हाइवे एवं एक तरफ पावर आम मुख्तार ग्रहीता की भुमि आई हुई है। इसलिए सरकारी भुमि के मालिक तहसीलदार रायपुर को पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तेदुआ है कि सरहद मौजा ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का बर भु. अभि. निरि. बर के खसरा नं. 1319/1694 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल पर फसल को नुकसान से बचाने एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भुमि को बचाने हेतु प्रार्थी सींमाकन एवं पत्थरगड्डी करवाना चाहता है हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रकर्ड अनुसार मौके पर नाप शुरू करने पर आड पडौस के कब्जाधारी द्वारा मौके पर विवाद उत्पन्न करने से उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होने से ख. न. 1319/1694 का सींमाकन एवं पत्थरगड्डी का आदेश प्रदान करावें एवं मौके पर विवाद ज्यादा होने से सींमाकन एवं पत्थरगड्डी करते समय पुलिस प्रशासन भी उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में सरहद मौजा ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का बर भु. अभि. निरि. बर के खसरा नं. 1319/1694 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल पर फसल को नुकसान से बचाने एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सींमाकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगड्डी करने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का बर भु. अभि. निरि. बर के खसरा नं. 1319/1694 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का बर भु. अभि. निरि. बर के खसरा नं. 1319/1694 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करवाई जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक.10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)